

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 678/2012
संस्थित दिनांक- 29.12.2012

म.प्र. राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियोजन

वि रु द्ध

नारायण पिता दयाराम कोली,
आयु-38 वर्ष, निवासी बैड़ीपुरा,
हनुमान गली, ठीकरी, जिला बड़वानी

...अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
आरोपी द्वारा	- श्री जे.पी. गुप्ता अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 14/03/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 250/12 के आधार पर दिनांक 20.12.12 को रात्रि लगभग 11:30 बजे बैड़ीपुरा हनुमान गली ठीकरी में अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसके निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित किया एवं उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, जो कि भा.द.वि. की धारा-457, 354 के अंतर्गत विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 29.02.16 को अभियुक्त के साथ राजीनामा द.प्र.सं की धारा-320(2) के अंतर्गत पेश किया था, किंतु असंज्ञेय अपराध होने से उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 20.12.12 को रात्रि लगभग 11:30 बजे अभियोक्त्री अपने घर पर बच्चों के साथ खटिया पर सो रही थी, उसका पति उसी कमरे में पलंग पर सो रहा था, तभी अभियुक्त उसके घर का पतरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और उसकी गोदड़ी खींची और बुरी नियत से उसके पैर पर हाथ फेरने लगा तो अभियोक्त्री की अचानक नींद खुल गयी और चिल्लाई तथा लकड़ी लेकर अभियुक्त के पीछे दौड़ी, उसके पति भी जाग गये थे, जिसने अभियुक्त को पकड़ लिया था, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गये थे । साक्षी जितेन्द्र, भारत और उसकी सास ने घटना देखी और उनको साथ लेकर रिपोर्ट करने आई । अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 250/12 भा.द.वि. की धारा-354, 457 के अंतर्गत

दर्ज कर विवेचना के दौरान साक्षीगण का परीक्षण किया गया और अभियोक्त्री का परीक्षण कराया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-457, 354 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फँसाया गया है, लेकिन अभियुक्त ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 20.12.12 को रात्रि लगभग 11:30 बजे बैड़ीपुरा हनुमान गली ठीकरी में अभियोक्त्री के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित कारित किया ?
2	क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है । दो वर्ष पहले उसका और मोहल्ले के अन्य व्यक्तियों का विवाद हुआ था, जिसकी उसने थाना ठीकरी पर रिपोर्ट की थी, जिस पर उसका अंगूठा निशानी है । साक्षी को प्र.पी.1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाने पर उसने अभियुक्त द्वारा घर के पतरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने और उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके पाव पर हाथ फैरने की बात लिखाने से स्पष्ट इन्कार किया है । साक्षी ने प्र.पी.2 का नक्शा-मौका पुलिस द्वारा बनाना स्वीकार किया है । अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्त उसके घर का पतरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया था तथा अभियुक्त ने बुरी नियत से उसके पांव में हाथ फेरा था । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्त से उसका राजीनामा हो गया है और राजीनामा होने के कारण वह अभियुक्त को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है ।

7. साक्षी स.उ.नि. आशीष पंडित (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 21.12.12 को थाना ठीकरी में अभियोक्त्री ने थाने पर आकर अभियुक्त के विरुद्ध प्र.पी.1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में

साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादिया अनपढ़ होकर अंगूठा लगाती है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी ने उसे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी और उसने मन से रिपोर्ट दर्ज की थी ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

8. अभियोजन की ओर से राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, चूंकि अभियोक्त्री स्वयं पक्षविरोधी घोषित हो गयी है, संभवतः राजीनामा होने के कारण अभियोक्त्री ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर मध्यरात्रि में अभियोक्त्री के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्यादय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित किया तथा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ।

9. ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-457, 354 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है । अतः अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा-457, 354 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

10. अभियुक्त अभिरक्षा में है, अतः उसका रिहाई आदेश केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजा जाए ।

11. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

12. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.